

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक: प.2(2)आयु./2025-03542 पार्ट 4

जयपुर, दिनांक :-

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राईजिंग राजस्थान समिट-2024 में विभाग के साथ हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. की क्रियान्विति हेतु टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तावित नवीन फेकल्टी ऑफ नैचुरोपैथी एवं यौगिक साईंस, टांटिया विश्वविद्यालय, श्रीगंगानगर को BNYS पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु 60 सीटों की प्रवेश क्षमता का राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नांकित शर्तों के अधीन जारी किया जाता है-

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र आगामी तीन शैक्षणिक सत्रों की अवधि हेतु जारी किया जाता है, निर्धारित अवधि में सम्बन्धित नियामक संस्था की अनुमति प्राप्त नहीं होने पर उक्त प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु संस्था को तत्समय निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था द्वारा संबंधित नियामक संस्थाओं द्वारा निर्धारित सभी मानकों की पूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा।
- संस्था द्वारा छात्रों से फीस संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दरों पर ली जायेगी। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(सावन कुमार चायल)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री महोदय।
- विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री महोदय, आयुष विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव आयुष विभाग।
- कुलसचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
- नोडल अधिकारी आयुष शिक्षा प्रकोष्ठ आयुष भवन प्रतापनगर-जयपुर।
- राज्य नोडल अधिकारी (आयुष), राईजिंग राजस्थान-2024।
- सम्बन्धित संस्था।

Signature valid

Digitally signed by Sawan Kumar Chayal
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.07.31 18:27:14 IST
Reason: Approved